न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

वाद सं०–M 44 / 2018

धारा–107 द०प्र०सं०

मनोरंजन साहू ....प्रथम पक्ष

बनाम

शंभूनाथ मुण्डा वगैरह ....द्वितीय पक्ष

तिथि	आदेश
03/06/2019	प्रस्तुत वाद में तमाड़ थाना अप्राथमिकी संख्या–15 / 18 दिनांक–20 / 04 / 2018 में प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर धारा–107 द०प्र०सं० के तहत कार्रवाई प्रारंभ की गई है। वाद में उभय पक्षों द्वारा कारण पृच्छा प्रस्तुत करते हुए एक दूसरे पर शांति भंग करने से संबंधित आरोप लगाया है। प्रथम पक्ष ने अपने कारणपृच्छा में प्रतिवेदित किया है कि द्वितीय पक्ष के लोग इस विवादित भूमि में लगाए गए धान की फसल को काटकर ले गए। ऐसा करना द्वितीय पक्ष की मनमानी है। द्वितीय पक्ष ने अपने कारणपृच्छा में प्रतिवेदित किया है कि विवादित भूमि पर द्वितीय पक्ष का दखल–कब्जा है। प्रतिवर्ष वे खेती–बारी करते आ रहे है। द्वितीय पक्ष के सदस्यों को परेशान करने की नियत से झूठा आरोप लगाकर इस वाद में फँसाने की कोशिश की जा रही है। <u>प्रथम पक्ष स्वतंत्र गवाह</u> :– रविन्द्र पुरान, पिता–बिंदा पुरान ने अपनी गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि यह जमीन मनोरंजन साहू का है। खेती आबाद मनोरंजन साहू करता है। खेती–बारी और धान उठाकर ले जाने को लेकर केस किया है। द्वितीय पक्ष मेरे सामने प्रथम पक्ष को धमकी दिया है। इस वर्ष प्रथम पक्ष के लोग खेती किए थे। वर्तमान में अभी एक दो महीना के अन्दर द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को गाली–गलौज करते नहीं सुना हूँ। <u>प्रथम पक्ष पार्टी गवाह</u>:– मनोरंजन साहू पिता–देवनंदन साहू ने अपनी गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि विवादित जमीन मौजा–कुरकुट्टा खाता संख्या–375 प्लॉट 1822 रकबा–56 डी० है। रजिस्ट्री डीड द्वारा उक्त जमीन को प्राप्त किया है। मुझे द्वितीय पक्ष के लोग गाली–गलौज एवं धमकी दिये थे। पहले 2015 को किए थे। बाद में 10 / 12 / 18 को किए थे। जमीन में मैं ही प्रतिवर्ष खेती करता हूँ। द्वितीय पक्ष से मेरा जमीन को लेकर 2015 से विवाद चल रहा है। 2015 के पहले विवादित जमीन में मैं ही खेती करता था। केस चलने के बाद से द्वितीय पक्ष से झगड़ा नहीं हुआ है। तना–तनी है। द्वितीय पक्ष धमकी दिया था। अभी भी उससे डर है। <u>द्वितीय पक्ष स्वतंत्र गवाह</u>:– अचरज सिंह मुण्डा पिता–भोलानाथ सिंह मुण्डा ने अपनी गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि प्रथम पक्ष जमीन विवाद को लेकर द्वितीय पक्ष पर केस किया है। विवादित जमीन कुरकुट्टा मौजा में है। उक्त जमीन पर खेती बारी शंभूनाथ मुण्डा करते है। विवादित जमीन पर इस साल भी द्वितीय पक्ष ही खेती किया था। द्वितीय पक्ष की तरफ से झगड़ा करने का संभावना नहीं लगता है। <u>द्वितीय पक्ष पार्टी गवाह</u>:– शंभुनाथ सिंह मुण्डा पिता–स्व0 सुखदेव सिंह मुण्डा ने अपनी गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि जमीन विवाद को लेकर केस हुआ है। विवादित जमीन मौजा कुरकुट्टा में है। प्लॉट संख्या–822 रकबा–लगभग 56 डी० में विवाद है। विवादित जमीन में मैं खेती–बारी करता हूँ। वर्ष–2018 में भी मैं ही खेती किया था। जब मैं विवादित जमीन का धान काट रहा था, तब प्रथम पक्ष धान काटने में बाधा डाला था। खेती करने के समय प्रथम पक्ष से अभी भी डर बना हुआ है। वाद में प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन, उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत कारण पृच्छा, गवाहों की गवाही एवं विद्वान अधिवक्ता के बहस सुनने से यह प्रतीत होता है कि जमीन पर स्वत्व को लेकर यह विवाद उत्पन्न हुआ है, जो सक्षम न्यायालय का मामला है। वर्तमान में शांति–व्यवस्था कायम है। उभय पक्ष को चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में भी शांति व्यवस्था बनाये रखे। लेखापित एवं संशोधित 03/6/19 कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) 03/06/19 कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

Digitally signed by AJAY KUMAR SAW
Date: 2021.08.16 14:38:03 +05:30
Location: 192.168.43.107